राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 14/2019/प्रा. पत्र/ निर्णय दिनांक :– 31.10.2019

अनवान

1. श्री लालुलाल पिता सरदार जी रेबारी आयु बालीग निवासी भारतसिंह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. श्रीमति मोवनी पिता सरदार जी रेबारी पत्नी श्री अुर्जन रेबारी जी आयु बालीग निवासी भारतसिंह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान हाल निवासी अणजी की ढाणी जोजावर तह0 मारवाड जक्शन जिला पानी
3. श्रीमति पार्वती पिता सरदार जी रेबारी पत्नि श्री भंवर लाल जी रेबारी आयु बालीग निवासी भारतसिंह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान हाल निवासी भाट खेडा गंगरार तह0 गंगरार जिला चितौडगढ
4. श्रीमति लहरी पति सरदाज जी रेबारी आयु बालीग निवासी भारतसिंह जी का गुडा तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राजस्थान

———प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– 01. श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रार्थी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम बीड देवगढ प.ह. स्वादडी बी तह0 देवगढ में प्रार्थीगण की पुस्तेनी भूमि स्थित है जिसके वर्तमान खाता नम्बर 168 खसरा नम्बर 213/27 रकबा 20.00 बीघा भूमि है प्राथीगण के पिता सरदार पिता भीमा जी रेबारी का स्वर्गवास दिनांक 17.01.2001 को हो गया है प्रार्थीगण के पुस्तेनी भूमि का नामान्तरण सरदार जी की मृत्यु पश्चात ना.क.सं. 536 ग्रा.प. पारडी द्वारा खोला गया उक्त ना.क.स. खोलते समय प्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम सुखी व तारू देवी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी संख्या 2 का नाम मोवनी देवी है तत्कालीन समय घर पर पहुचने पर प्रार्थी संख्या 1 की पत्नी सुखी होने से एवं मोवनी देवी का घरेलु प्रेमवश नाम सुखी होने से लिख दिया गया जबकि वास्तविक नाम मोवनी देवी तथा प्रार्थी सं. 3 का घरेलु नाम पारू था एवं वास्तविक नाम पार्वती देवी था गलत रूप से ना.क. इन्द्राज मे तारू लिखदिया गया दोनो ही नाम गलत दर्ज हो गये जबकी लालुलाल व लेहरी सही अंकित हुए है प्रार्थीगण अनपढ व्यक्ति थे एवं खेतीहर व चरावात व्यक्ति है प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा भी अन्य व्यक्तियों ने बनाकर दे दिया जिससे ना.क. खोल आगामी राजस्व रिकोर्ड में सरदार पिता भीमा की लालुलाल, सुखी तारूदेवी पिता सरदार, लेहरी बेवा सरदार रेबारी ग्राम भारत सिंह जी का गुडा दर्ज कर दिये गये । ना. का. के समय जब राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया गया तब घर की भाषा में बोले जाने वाले नाम तारू देवी लिख दिया गया जबकि वास्तविक नाम पार्वती देवी है एवं मोवनी की जगह सुखी लिख दिया गया है जो सामान्य ईन्द्राज गलती से लिखा गया है। प्रार्थीगण का वास्तविक नाम जो दस्तावेजी रिकोर्ड में है पार्वती एवं मोवनी देवी सुखी एवं तारू के बजाय राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज शुद्वि किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को राजस्व रिकोर्ड की प्रतिलीपी लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के खाते में सुखी तारू दर्ज हैं जबकि वास्तविक रूप से अन्य दस्तावेजों में पार्वती देवी एवं मोहनी देवी दर्ज हो प्रार्थीगण अपने राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम लालुलाल, सुखी, तारू देवी पिता सरदार लहरी बेवा सरदार रेबारी के प्रार्थी लालुलाल, मोवनी देवी, पार्वती देवी पिता सरदार लहरी बेवा सरदार रेबारी इन्द्राज दुरूस्ती से चाहता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात जो ग्राम बीड देवगढ में प.ह.स्वादडी बी में स्थित हो खाता नम्बर 168 खसरा न. 213/27 रकबा 20.00 में नाम लालुलाल सुखी, तारू देवी पिता सरदार लहरी बेवा सरदार रेबारी को हटाया जाकर लालुलाल सुखी तारू देवी पिता सरदार, लहरी बेवा सरदार रेबारी को के बजाय लालुलाल मोवनी देवी, पार्वती देवी पिता सरदार लहरी बेवा सरदार रेबारी दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में जबाव किया। प्रार्थी ने जवाब में प्रार्थीया का नाम प्रा0 पत्र के अनुसार शुद्व किये जाने में सरकार को कोई आपति नहीं होने निवेदन किया है वकील प्रार्थी ने शतादत में प्रार्थी लालुलाल, मोवनी, एवं पार्वती के शपथपत्र एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति, भामाशाह कार्ड की फोटोप्रतिया पेश कि। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की। विपक्षी वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पिता श्री सरदार

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

जी की मृत्यु के बाद उनके वारीसान के नाम ना.क. खोला गया जिसमें प्रार्थीगण के नाम उनके घरेलु नाम ना.क. में दर्ज कर दिये गये जबकि प्रार्थीगण के वास्तविक नाम लालुलाल, मोवनी देवी, पार्वती देवी, पिता सरदार लहरी बेवा सरदार रेबारी है अतः उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबंदी शपथपत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विपक्षी वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ठ है कि प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु पश्चात विरासत से उनके वारीसान के नाम दर्ज किये गये जिसमें मृतक सरदार रेबारी के वारीसान के घरेलु नाम दर्ज कर दिये गये जबकी प्रार्थीगण के वास्तविक नाम लालुलाल, मोवनी देवी, पार्वती देवी, पिता सरदार एवं लेहरी बेवा सरदार रेबारी है। अतः प्रार्थीगण के घेरलु नाम हटाया जाकर सही नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बीड देवगढ प.ह. स्वादडी बी तह0 देवगढ के खाता संख्या 168 खसरा न. 213/27 रकबा 20.00 बीघा भूमि में प्रार्थीगण का सही नाम लालुलाल, सुखी, तारूदेवी पिता सरदार एवं लेहरी बेवा सरदार रेबारी हटाया जाकर सही नाम लालुलाल, मोवनी देवी, पार्वती देवी पिता सरदार एवं लेहरी बेवा सरदार रेबारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे पत्रावली फेसलसुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायलय सुनाया गया है।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द